

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	योजना का लाभ लेने हेतु ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से खरीफ फसलों में 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। फसलों की बुवाई न कर पाने एवं बुवाई से लेकर कटाई के 14 दिन उपरान्त की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं/रोगों से क्षति के आकलन के अनुसार इकाई कृषक को मानते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा किया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाईट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।